



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60553

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 2885 सन् 2026

महेश कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

ओम प्रकाश यादव, तनुज शाही

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :

सी.एस.सी., रामानंद पांडे

न्यायालय संख्या 52

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रत्यर्थी-बीएसए की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामानंद पांडे को सुना गया।

याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:

"ए. प्रत्यर्थी संख्या 4-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी द्वारा दिनांक 19.1.2026 को पारित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक-4) को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बी. उपयुक्त प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थागण को यह निर्देश दिया जाए कि वे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी द्वारा दिनांक 19.1.2026 को पारित आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को उसके कार्यस्थल से स्थानांतरित/समायोजित न करें।"

11 मार्च, 2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:

"याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-बीएसए के विद्वान अधिवक्ता श्री राम नंद पांडे की ओर से श्री सत्यम चौरसिया और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता का तबादला प्राथमिक विद्यालय, हरिजन बस्ती, गुरसहाय, जिला झांसी से प्राथमिक विद्यालय, पादरा, ब्लॉक बंगरा, जिला झांसी के दिनांक 07.07.2025 के आदेश द्वारा किया गया था। याचिकाकर्ता ने 11.07.2025 को स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। हालांकि, आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को इस आधार पर पूर्व संस्थान में वापस भेज दिया गया है कि याचिकाकर्ता के तबादले के बाद उक्त संस्थान में केवल एक ही शिक्षक रह गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका के प्रस्तर 15 में कहा है कि याचिकाकर्ता के तबादले के बाद, दो शिक्षक अभी भी उस संस्था में कार्यरत हैं जहाँ से उनका तबादला हुआ था। इसका विवरण याचिका के पृष्ठ 28 पर संलग्न है।

उपरोक्त के आधार पर, प्रत्यर्थी-बीएसए के विद्वान अधिवक्ता ने मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए दस दिन का समय मांगा है, जिसे उन्हें प्रदान किया जाता है।

इस पर 23.03.2026 को नए सिरे से सुनवाई होगी।

तब तक, वर्तमान स्थिति यथावत बनी रहेगी।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, प्रत्यर्थी-बीएसए के विद्वान अधिवक्ता ने आज पारित निर्देशों के आधार पर, जो अभिलेख में रखे गए हैं, प्रस्तुत किया है कि श्री विजय चंदेल का नाम पोर्टल पर गलत तरीके से प्राथमिक विद्यालय-हरिजन बस्ती, गुरसराय, जिला-झांसी में तैनात दिखाया गया है। अतः, याचिकाकर्ता के उपरोक्त संस्था से स्थानांतरण के बाद, संस्था में केवल एक



शिक्षक शेष रह गया है। अतः, आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को उपरोक्त संस्था हरिजन बस्ती में वापस भेज दिया गया है।

इस संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इससे पहले श्री चंदेल का स्थानांतरण प्राथमिक विद्यालय-हरिजन बस्ती, गुरसराय, झांसी में किया गया था, जहाँ उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और उनके विरुद्ध कोई आदेश पारित करने के बजाय, याचिकाकर्ता को उपरोक्त संस्था में वापस भेज दिया गया है, जो सरासर मनमाना और अवैध है।

प्रतिवाद में, प्रत्यर्थी-बीएसए के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि याचिकाकर्ता दिनांक 14.11.2025 के सरकारी आदेश द्वारा गठित संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपनी शिकायत रखता है, तो उस पर विचार किया जाएगा।

प्रत्यर्थी-बीएसए के विद्वान अधिवक्ता ने पहले ही स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता ने स्थानांतरित स्थान, अर्थात् पूर्व माध्यमिक विद्यालय, पादरा, ब्लॉक-बांगरा, जिला-झांसी में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

उपरोक्त के मददेनजर, वर्तमान रिट याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से एक सप्ताह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत करे। ऐसी आपत्तियां प्राप्त होने पर, समिति लागू नियमों, बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के आदेश और संबंधित सरकारी आदेशों के आलोक में उनकी जांच करेगी और उसके बाद चार सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करेगी।

आज से एक माह की अवधि के लिए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, आज की *यथास्थिति* बनाए रखी जाएगी।

23 मार्च, 2026

एल.एन. त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।